पंजीकृत डाक

उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–9
संख्या– 678 /आठ–9–23–179डीए/18
लखनऊः दिनांक 03 मार्च, 2023

कार्यालय आदेश

उ0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा के श्री राजबल सिंह सिसौदिया, तत्कालीन अवर अभियन्ता, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के विरूद्ध स्वर्णजयन्तीपुरम आवासीय योजना में भूखण्डों की पुनर्बहाली/पुनर्आवंटन की आड़ में की गयी अनियमितताओं के सम्बन्ध में प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने के दृष्टिगत शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1950/आठ–9–19–179डीए/2018 दिनांक 30.12.2019 द्वारा उ0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा नियमावली 1985 के नियम–33 सपठित उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–1999 के नियम–7 के अधीन विभागीय जाँच की कार्यवाही संस्थित करते हुए आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। शासन के पत्र दिनांक 06.07.2020 द्वारा आरोप पत्र निर्गत किया गया। जांच अधिकारी/आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ के पत्र दिनांक 25.02.2022 द्वारा अपचारी अभियन्ता श्री सिसौदिया के विरूद्ध अधिरोपित आरोपों के सम्बन्ध में आरोपवार सुस्पष्ट जॉच आख्या शासन को उपलब्ध करायी गयी। श्री राजबाल सिंह सिसौदिया, तत्कालीन अवर अभियन्ता, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनॉक 31.05.2022 को सेवानिवृत्त हो गये हैं।

2– प्रश्नगत अनुशासनिक कार्यवाही के सम्बन्ध में जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच आख्या, जिसमें अधिरोपित आरोपों को प्रमाणित नहीं पाया गया है एवं अन्य सुसंगत अभिलेखों पर सम्यक विचारोपरान्त तथा श्री राजबाल सिंह सिसौदिया, तत्कालीन अवर अभियन्ता, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के सेवानिवृत्त हो जाने के दृष्टिगत उनके विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1950/आठ–9–19–179डीए/2018 दिनांक 30.12.2019 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को सी0एस0आर0 के अनुच्छेद–351ए के अर्न्तगत परिवर्तित करते हुए प्रश्नगत विभागीय अनुशासनिक जांच की कार्यवाही को बिना दण्ड के समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

श्री राज्यपाल की ओर से,

नितिन रमेश गोकर्ण
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांकः तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. जांच अधिकारी/आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।
2. उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ को एक अतिरिक्त प्रति इस आशय से प्रेषित कि कृपया श्री राजबल सिंह सिसौदिया, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता, मेरठ विकास प्राधिकरण को तामील कराकर तामीला की सूचना शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3. उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।
4. श्री राजबल सिंह सिसौदिया, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।
5. आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–5 को श्री राजबल सिंह सिसौदिया, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की चरित्र पंजिका एवं व्यक्तिगत पत्रावली में रखने हेतु।
6. संबंधित समीक्षा अधिकारी को कम्प्यूटर में जांच की सूचना को अद्यतन किये जाने हेतु।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अजय कुमार सिंह)
उप सचिव।

E:\Avnish Chaudhary RO\UO